


Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board





Date: 25.04.2025

RPCB / RO Sikar/ SIK-PH-022/ 186 - 193

M/s Galaxy Associates,

Shop No. 24, Industrial Area, Neem Ka Thana,

Tehsil Neem Ka Thana, District Sikar

Sub: - Public hearing for Environmental Clearance for expansion of existing Quartz, Feldspar & Silica Sand to inclusion of Masonary Stone and enhancement in existing production capacity from 470184 TPA (ROM) to 700440 TPA (ROM) Mining Project "Mining Project for Cluster area – 9.6097 Hectare, Applied by Galaxy Associates, M.L. No. 15/2022 (Delineate Plot No. 42) Area of 4.8333 Hectare with the production capacity enhancement from 470814 TPA (ROM) to 700440 TPA (ROM), Located at Khasra No. 122, 129, 130, 131, Near village- Baniyala (Mahawa), Tehsil- Neem Ka Thana, District- Sikar

Ref:- District Magistrate Office letter No. 14924755 dated 25.04.2025.

Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Sikar, office letter no. 14924755 dated 25.04.2025 in which public hearing has been finalized on dated 28.05.2025.

Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper (All editions) and one regional daily newspaper (Hindi-All editions) in any case on or before on/before 25.04.2025, as per provision of MoEF & CC New Delhi notification dated 14.09.2006 and amended time to time.

The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Rajiv Gandhi Seva Kendra, Gram Panchayat Mahawa, Tehsil- Neem Ka Thana, Distret- Sikar at 11:00 AM on 28.05.2025 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Encl:-As above

Yours Sincerely

Regional Officer

Copy to:-

1. District Collector, Sikar.

- 2. Rajasthan State Pollution Control Board Headquarters, 4, Institutional Area, Jhalana Dungari, Jaipur. 302004.
- 3. Regional Office, Ministry of Forest and Environment, Government of India, A-218 Aranya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur 302004.
- 4. ADM, Neem Ka Thana, District Sikar.
- 5. SDM, Neem Ka Thana, District Sikar.

JAM 77 414 3) Show 96800 52852

- 6. General Manager, District Industry Centre, District -Sikar.
- 7. Director, Environment Department, Room Number 8240 Second Floor, U-P (SSO) Building, Secretariat, Jaipur

Regional Officer

de



Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board



Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001 Phone: 01572-248009, e-mail: <u>rorpcb.sikar@gmail.com</u>

RPCB / RO-Sikar/ SIK-PH-022/

Date: 25.04.2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेत् लोक सुनवाई के लिए आम सुचना

विषय:- मैसर्स गैलेक्सी एसोसिएट, एम एल नंबर 15/2022, खसरा नम्बर 122, 129, 130, 131, निकट ग्राम बिनियाला (महावा), तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में क्वाटर्स, फेल्सपार और सिलिका रेत की मौजूदा खनन परियोजना में मेसेनरी स्टोन माइनिंग परियोजना शामिल करने एवं उत्पादन क्षमता बढाने हैतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

- 1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गैलेक्सी एसोसिएट द्वारा प्रस्तावित माइनिंग परियोजना जिसमें क्वाटर्स, फेल्सपार और सिलिका रेत की मौजूदा खनन परियोजना में मेसेनरी स्टोन माइनिंग परियोजना शामिल करने एवं उत्पादन क्षमता 470184 टीपीए से 700440 टीपीए बढायी जानी है जोकि माइनिंग कलस्टर क्षेत्र 9.6097 हेक्टर, एम एल नंबर 15/2022, प्रस्तावित विस्तार खनन क्षेत्र 4.8333 हेक्टर, खसरा नम्बर 122, 129, 130, 131, निकट ग्राम बनियाला (महावा), तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
- 2. और चूंकि गैलेक्सी एसोसिएट, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- 3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्ष्तिप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है: –
 - i. जिला कलक्टर, सीकर I
 - ii. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर |
 - iii. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, ४, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
 - v महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर ।
 - vi. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ।
 - vii. क्षेत्रीय प्रबधंक रीको, सीकर |
 - viii. ग्राम पंचायत, महावा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर |
 - ix. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम महावा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर
 - х. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
 - xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सीकर जिला सीकर।

repoli

Regional Office

Rajasthan State Pollution Control Board



Shiv Singhpura Housing Board, Nawalgarh Road, Sikar-332001 Phone: 01572-248009, e-mail: rorpcb.sikar@gmail.com

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 14924755 दिनांक 25.04.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 28.05.2025 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान— राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत महावा, तहसील नीमकाथाना एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सांवधानियो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर